

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 334/2022

1. भरत
2. दशरथ पुत्रगण रामकरण समस्त जाति बलाई निवासीगण कहारों की डाणी तहसील व जिला सीकर

-वादीगण-

बनाम


1. रामकरण पुत्र सुरजा जाति बलाई निवासी कहारों की डाणी तह0 व जिला सीकर
2. पंचवारी हल्का बाजोर
3. उप पंजीयक सीकर
4. तहसीलदार, सीकर

-प्रतिवादीगण -

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

उपस्थित -वकील वादीगण- श्री रतनलाल
वकील प्रतिवादी संख्या 1 - श्री संदीप सेवदा

वाद वादीगण उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खं. नं0 551 रकबा 1.3500 है0 ग्राम बाजोर तहसील व जिला सीकर में सुरजा पुत्र रूघा का हिस्सा 1/4 में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को समान रूप से 1/3-1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रुपया	रुपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 24.1.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर